अंक ४३ नई दिल्ली, सितम्बर २०१३ [निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'पुलिसबल में प्रशिक्षण द्वारा सेवा-प्रदाता दृष्टिकोण का विकास आवश्यक'

डॉ. एम. के. देवराजन

डॉ. एम. के. देवराजन, सदस्य, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग तथा पूर्व ए.डी.जी.पी. राजस्थान से पुलिसिंग और मानवाधिकारों से सम्बन्धित विषयों पर जीनत मलिक द्वारा ई-मेल से लिये गये साक्षात्कार का प्रथम भाग यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस कर्मियों की विचार शैली में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संवेदनशीलता जागरूक करने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से क्या कोई विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

मेरे विचार से इसके लिए तीन उपाय हैं (१) मानवाधिकारों के संबंध में पुलिस कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। (२) पुलिस कर्मियों के व्यवहार एवं विचारशैली को सुधारने के लिए 'साफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण' कार्यक्रम आयोजित करना। (३) पुलिस कर्मियों की काउंसलिंग। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ईच्छा शक्ति पर निर्भर है। पुलिस विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने अनेक 'सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण' कार्यक्रमों का आयोजन किया था। मैंने चुनिन्दा स्थानों पर काउंसलिंग शुरू करवायी थी तथा पीयर काउंसलिंग के लिए कान्स्टेबलों को प्रशिक्षित कर उनके द्वारा पीयर काउंसलिंग करायी गई थी। मानव अधिकार आयोग में रहते हुए मैंने जोधपुर मेडिकल कॉलेज की अनुशंसा पर उनके चिकित्सकों एवं स्टाफ के लिए सी.आई.आई. के सहयोग से 'साफ्ट स्किल्स डेवलपमेन्ट ट्रेनिंग कार्यक्रम' आयोजित किया था। वर्तमान में भी पुलिस विभाग यदि चाहे तो मेरे द्वारा मानवाधिकार संरक्षण, सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेन्ट एवं पीयर काउंसलिंग के संबंध में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

आयोग ने पिछले कुछ महिनों में स्वतः ही कई केसों का संज्ञान लेकर कार्यवाही की है। कृपया इसके बारे में विस्तार पूर्वक बतायें की आयोग ने ऐसा करना क्यों उचित समझा और उनमें से अधिकांश केस किस प्रकार के थे?

यह सही है कि आयोग ने पिछले कुछ समय में मानवाधिकारों के हनन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं, जिन की ओर मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ, का स्वप्रसंज्ञान लिया है। आयोग के इस प्रकार हस्तक्षेप किये जाने वाले विषयों में – स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदुषण, महिलाओं / दलितों पर अत्याचार, बिजली-पानी की समस्या, पुलिस द्वारा अत्याचार, लोक उपद्रव, जेलों में अव्यवस्था आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आन्दोलनकारियों द्वारा रास्ता रोकने के मामले सामने आने पर आयोग द्वारा स्वयं प्रसंज्ञान लेकर कार्यवाही की जाती है क्योंकि इससे आमजन को काफी असुविधा होती है। वर्तमान आयोग ने कई ऐतिहासिक कदम उठाये हैं जिससे संवेदनशील एवं गंभीर मामलों में पीड़ित को यथाशीघ्र न्याय एवं सहायता पहुंचायी जा सके। आयोग की पहल पर की गई कार्यवाहियों से दो क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता मिली है – खान मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी मामले एवं सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराने के मामले। खान मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी मामलों में आयोग के प्रयास से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खान मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के संबंध में जागरूकता पैदा हुई है तथा इनके निवारण हेतु कार्यवाही प्रारंभ हुई है। 'सिलीकोसिस' नामक बीमारी की पहचान तथा ईलाज हेतु प्रदेश के अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है एवं चिकित्सकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। आयोग के दखल से 'सिलीकोसिस' से पीड़ित व्यक्तियों को एक लाख रूपये तथा मृतक के परिजनों को तीन लाख रूपये आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। खान मालिकों द्वारा *खनिज अधिनियम* एवं अन्य विभिन्न कानूनों का खुले रूप से किये जा रहे उल्लंघन को रोकने का कार्य संबंधित विभागों द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त इस समस्या के बारे में प्रदेश के १९ जिलों में जहां खनन कार्य होता है, एक व्यापक अध्ययन करने का भी निर्णय लिया गया है। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराने के मामलों में आयोग के द्वारा यह देखा गया कि प्रदेश में *लोक सेवा गारन्टी अधिनियम वर्ष २०११* लागू होने के उपरान्त भी राज्य सरकार के काफी सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को तथा उनके मृतक आश्रितों को समय पर पेंशन एवं अन्य परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों को अदालतों की शरण लेनी पड़ती है अथवा वर्षों तक इन परिलाभों के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आयोग के दखल से दो प्रकरणों जिनमें से एक प्रकरण में राज्य कर्मचारी की मृत्यु वर्ष १९६७ में तथा दूसरे प्रकरण में मृत्यु वर्ष १९७५ में हुई थी, में मृतकों के परिवारों को वर्ष २०१२ में पेंशन दिलाई गई। इसके अलावा वर्ष १९९० से सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन प्रकरण विचाराधीन चल रहें है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पेंशन से संबंधित मामलों में कुछ विभाग अथवा अधिकारी कितने असंवेदनशील है। इसको देखते हुए विचाराधीन पेंशन प्रकरणों का विभाग वार एवं जिलेवार स्वप्रसंज्ञान लेकर कार्यवाही की जा रही है।

क्या आज भी आयोग के पास सबसे अधिक मामले पुलिस के विरूद्ध मानव अधिकार उल्लंघन के है? यदि 'हाँ' तो आपके विचार में इसका क्या कारण है?

जी हाँ, अन्य मानव अधिकार आयोग की तरह राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में भी सबसे अधिक शिकायतें पुलिस के विरूद्ध प्राप्त होती हैं। पुलिस के विरूद्ध जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज ना करना, दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्यवाही ना होना, झूठे मुकदमें में फंसाना, पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार, फर्जी मुठभेड़, पुलिस अभिरक्षा में अत्याचार आदि हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं हैं कि पुलिस संवेदनहीन है। पुलिस के विरूद्ध अधिक शिकायतें रहने के अनेक कारण हैं जैसे पुलिस की कार्यप्रणाली – पुलिस विभिन्न कारणों से कोई ना कोई दबाव में कार्य करती है जिसका सीधा असर उसकी निष्पक्षता पर पड़ता है। पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी है कि दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हो सकते। जब एक पार्टी संतुष्ट होती है तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाता है। अतः पुलिस के विरूद्ध अधिक शिकायतें अस्वाभाविक नहीं है। जागरूकता की कमी – आमजन में यह जागरूकता नहीं है कि बहुत से अपराधिक मामलों में पुलिस को प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने का अधिकार ही नहीं है तथा इसके लिए उन्हें सीधे अदालत में जाना चाहिए। जन अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त बल एवं अन्य संसाधनों की कमी – इसके कारण पुलिस त्वरित गति से कार्य नहीं कर पाती और उसे व्यापक जनअसंतोष झेलना पड़ता है। (४) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दृष्टिकोण इन शिकायतों के प्रति पर्याप्त गंभीर ना होना – इस स्तर पर संवेदनशलता एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण आवश्यक है। मेरी विनम्र राय है कि यदि पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी तीन बातों पर ध्यान दें तो पुलिस के विरूद्ध प्राप्त हो रहीं शिकायतों में कमी आ सकती है। (१) पुलिस कर्मियों का आमजन के प्रति व्यवहार में सुधार पुलिस कर्मियों को आमजन से धैर्यपूर्वक, संवेदनशील, निष्पक्ष एवं विनम्र व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। (२) सूचना उपलब्ध कराना – प्रत्येक प्रकरण में हो रही प्रगति, कठिनाई के संबंध में पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को, कम से कम पीड़ित पक्ष को सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। (३) 'सेवा

शेष पृष्ठ २ पर ....

बूझो और जीतो-२१

प्रिय पाठकों,
इस खण्ड में हम आपराधिक कानूनों और बाल यौन शोषण सम्बन्धी कानूनों से प्रश्न पूछ रहे हैं। दोनों बेहद उपयोगी कानून हैं, इसलिए अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लें।

हांलाकि, इस बार भी पहले की ही तरह आपसे केवल ५ प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों के सही उत्तर मिलने पर लकी ड्रा से विजेताओं का नाम निकाला जाएगा। यदि किसी के ५ से कम प्रश्नो के उत्तर सही हो तब उसे विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। इस कारण ऐसा सम्भव है कि किसी अंक में कोई भी विजेता न हो।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रूपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अक के सवाल निम्नलिखित है:–

१. भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७६ क किस अपराध से सम्बन्धित है?
२. क्या छेड़खानी के लिए पुलिस एफ. आई.आर. दर्ज कर सकती है और क्या पुलिस थाने में आरोपी को ज़मानत दे सकती है?
३. बच्चों के साथ यौन प्रताड़ना करने वाले को क्या और किस प्रावधान के अंतर्गत दण्ड दिया जा सकता है?
४. *बाल यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम २०१२* के अंतर्गत विशेष अदालत को बच्चे की गवाही आदर्शतः कितने दिनों में समाप्त कर लेनी चाहिए?
५. *बाल यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम २०१२* के अंतर्गत अदालत को मुकदमा कितने समय में पूरा कर लेना चाहिए?

बूझो और जीतो – १८ का परिणाम

जून २०१३ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:

१. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६१ क के अंतर्गत एक सरकारी अधिकारी को कानून की अवज्ञा के लिए ६ महीने-२ वर्षों तक के कारावास और जुर्माना चुकाने का दण्ड दिया जा सकता है। इसलिए, एफ.आई.आर. न दर्ज करने के लिए पुलिस को भी दण्डित किया जा सकता है।
२. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६६ ख के अंतर्गत किसी निजी अस्पताल द्वारा बलात्कार पीड़ित महिला का ईलाज करने से मना करने के लिए मालिक को १ वर्ष तक के कारावास या जुर्माना चुकाने का दण्ड या दोनों ही दिया जा सकता है।
३. भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७६ ख के अंतर्गत एक पति द्वारा अलगाव के दौरान अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उसे २ ५ वर्ष का कारावास और जुर्माना चुकाने का दण्ड दिया जा सकता है।
४. भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२६ ख के अंतर्गत तेज़ाब फेंकने वाले व्यक्ति को कम से कम ५-७ वर्ष तक के कारावास और जुर्माना चुकाने का दण्ड दिया जा सकता है।
५. नहीं, मानव तस्करी के केसो मे पुलिस को जमानत देने का अधिकार नहीं है। क्योकि, भारतीय दण्ड सहिता की धारा ३७० के अंतर्गत इसे अज़मानती निर्धारित किया गया है।

विजेता

इस अंक के लिए हमें किसी भी पत्र में सभी प्रश्नों के उत्तर सही नहीं प्राप्त हुए हैं। इसलिए किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सका।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या या ईमेल करें

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +91-11-43180200, 43180225-299
फैक्स : 91 11 26864688
ई-मेल : zeenatmalick@gmail.com
वेबसाइट : http://www.humanrightsinitiative.org

साम्प्रदायिक दंगे और पुलिस

भारत में दंगों के कारण अब तक १० लाख से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले साम्प्रदायिक दंगा गुजरात के अहमदाबाद में १७३० में हुआ था।

इसके बाद कई प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे समय-समय पर होते रहे। लेकिन, १९५४ से लेकर १९८५ के अंतराल में भारत में हर वर्ष साम्प्रदायिक हिंसा होती रही है। इन ३१ सालों में कुल ८,४४९ साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं और सरकारी आँकड़ों के अनुसार इन दंगों में मरने वाले लोगों की कुल संख्या ७,२२९ और घायल होने वालों की संख्या ४७३२१ थी।

अकेले १९६९ में ही ६२६ साम्प्रदायिक दंगे हुए जिसमें २०७ लोगों की मृत्यू हुई और २०६५ लोग ज़ख्मी हो गये।

दंगों से निपटना

साम्प्रदायिक दंगे एक नियमित तथ्य हैं जिससे सरकार और कानून लागू कराने वाली ऐजेंसियों को निपटना पड़ता है। केन्द्र से लेकर राज्य और ज़िला प्रशासन तक, पुलिस और दूसरी एजेंसियों के पास इन साम्प्रदायिक दंगों से निपटने/इन्हें रोकने/समाप्त करने के लिए आवश्यक नीति दिशा निर्देश, कानूनी स्वीकृत और विवाकाधीन शक्तियां उपलब्ध होती हैं।

दंगा स्कीम

अधिकतर राज्यों की अपनी एक दंगा स्कीम होती है। लेकिन, यह एक पब्लिक दस्तावेज़ नहीं होता और प्रायः राज्य की स्पेशल पुलिस युनिट के पास रहता है, बल्कि पुलिस द्वारा इसे गुप्त रखा जाता है। इसलिए, यह कहना मुश्किल है कि पुलिस द्वारा दंगों को रोकने के लिए कौन से आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए थे जिसको पुलिस ने अनदेखा किया।

साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए उपलब्ध उपचार

प्रत्येक अधिकारियों की ड्यूटी, गांव स्तर के अधिकारियों और पेट्रोल पर रहने वाले पुलिस कांस्टेबल से लेकर डी.जी. तक की ड्यूटी तय कर दी गई है। आदेशों की श्रृंखला स्थापित कर दी गई है। यहां तक कि इस सम्बन्ध में खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। रोकथाम के लिए पूर्वकालीन तथा तुरंत किये जाने वाले उपायों को भी उल्लेखित कर दिया गया है और दंगों के दौरान उपयोग किये जाने वाले बल के परिमाण को भी बतला दिया गया है, साथ ही दाण्डिक उपायों का भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

वास्तव में, कई बार समय रहते की गई कार्यवाही से बड़े संहारों को रोका जा सकता है। वहीं कानूनों की अनदेखी और अवमानना से हज़ारों की हत्या और करोड़ों की राम्पत्ति को स्वाहा होते देखा जाता है जो अपने साथ दंडाभाव, कड़वाहट, अपराधिता, गुस्सा और अपमान की भावना को भविष्य में और अधिक कठिनाईयाँ उत्पन्न करने के लिए छोड़ जाते हैं।

सिफ़ारिशें

- राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने इस बात की सिफ़ारिश की है कि दंगा स्कीमों को लगातार दोहराया जाना चाहिए ताकि पुलिस को तुरंत कार्यवाही करने में झिझक न हो।
- दंगा स्कीम को नियमित रूप से अप्डेट किया जाना चाहिए और इसको दोहराया जाना चाहिए ताकि जब परिस्थिति की मांग हो तो कोई भी पुलिस अधिकारी कड़ी कार्यवाही करने में विफल न हो।

हाल ही में हुए २७ अगस्त २०१३ से लेकर सितंबर महीने के मध्य तक देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर और शामली ज़िले में मुसलमानों और जाटों के बीच हुए साम्प्रदायिक दंगों का सबसे प्रमुख कारण पुलिस और प्रशासन द्वारा समय रहते ही प्रतिरोधक उपायों का न किय जाना है।

उत्तर प्रदेश के ए.डी.जी. पुलिस (कानून व व्यवस्था) अरूण कुमार का कहना है कि उन्हें राजनैतिक दबाव के कारण राज्य में काम करने में कठिनाई हो रही है, इसलिए उन्हें केन्द्र में वापस बुला लिया जाए। लेकिन, इस तर्क से इस दंगे के कारण ४०,००० बेघर हुए लोगों को राहत नहीं मिल सकता, न ही दोनों ओर के मृतकों के परिवारों को संतावना । क्या इन अधिकारियों को पुलिस की ड्यूटी में आते समय राजनैतिक पार्टियों की 'हां' में 'हां' मिलाने की शपथ दिलाई जाती है? क्या इस ए.डी.जी.पी. ने अपनी किसी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग किया था इस दंगे को रोकने के लिए? सबको मालूम है कि उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी जिसके कारण राजनेताओं द्वारा भीड़ में भड़काऊ भाषण देने के करण वे उग्र हो गए और यह दंगा बढ़ता गया।

क्या अब भी पुलिस की कार्यपद्धति में राजनैतिक हस्ताक्षेप करने के लिए किसी अन्य और विशालकाय दंगे और नरसंहार के घटना की प्रतीक्षा है? जहां एक ओर पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का निर्वाह करने में स्वंय को असहाय पा रहे हैं वहां आमजन की सुरक्षा किसके भरोसे है? शायद इसी का आभास करके उच्चतम न्यायालय ने दंगे से सम्बन्धित सभी मुकदमों की सुनवाई स्वंय करने का निर्णय लिया है और राज्य सरकार से बेघर और पीड़ितों की सहायता और राहत के लिए उठाये जाने वाले उपायों की रिपोर्ट मांगी है।

शायद, अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की नाकागी का अंत हो और राजनैतिक हस्तक्षेपों को पुलिसिंग से अलग करने के लिए *प्रकाश सिंह के केस* में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अक्षरतः पालन किया जाए।

–नवाज़ कोतवाल व ज़ीनत मलिक

सॉफ्ट स्किल्स-पुलिस कार्य तथा पूर्वाग्रह

पिछले अंको में हमने पुलिस कार्य में आधारभूत सॉफ्ट स्किल्स के संबंध में चर्चा की। इसके अंतर्गत हमने पाया कि समस्त कार्य कलापों में पुलिस की आचरण तथा व्यवहार में दृष्टिकोण का बहुत महत्व है जो कि समस्त पुलिस कार्यों में पुलिस के कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। दृष्टिकोण से ही जुड़ा हुआ तत्व पूर्वाग्रह है जो किसी भी पुलिस कर्मी को कानूनी रूप से उचित अथवा अनुचित कार्य करने देने में निर्णायक सिद्ध होता है।

पूर्वाग्रह, वह वैचारिक तथा मानसिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति को कुछ सामाजिक मूल्य, विचारों, धारणाओं को हमेशा उचित मानने की प्रेरणा देती ही और तर्क तथा विशलेषण किये बगैर उन भावनाओ को हमेशा मान्य मानकर किसी व्यक्ति को आवरण करने हेतु प्रेरित करती है। पूर्वाग्रह मानव मनोविज्ञान का तथा आचरण का एक महत्वपूर्ण तर्क है। अपने भीतर के पूर्वाग्रहों का विशलेषण कर पाना अधिकतर लोगों के लिये संभव नहीं हो पाता है। परंतु, कानून का पालन कराने वाले एक पुलिसकर्मी के लिये यह आवश्यक है कि वह कानून की कसौटी पर अपने आचरण, विचारों तथा व्यवहारों का सतत परिक्षण करता रहे तथा स्वंय को पूर्वाग्रहों से दूर रखे। पुलिस कार्य में पुलिसकर्मी कानून की इच्छा अनुरूप कार्य कर पाते हैं अथवा नहीं इसमें उनके दृष्टिकोण तथा उनके पूर्वाग्रहों का भी योगदान होता है। सामाजिक परिवेश से आने वाले पुलिसकर्मी अपने आसपास के वातावरण, समुदाय परिवार में प्रचलित मूल्यों से प्रभावित होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि उक्त सामाजिक मुल्य जिन पर पुलिसकर्मी अपने विचारों के लिये आश्रित था वे मूल्य कानून का पालन कराने वाले पुलिसकर्मी के रूप में भी सही माने जायें। यदि कानून का पालन कराने वाले एजेंट के रूप में एक पुलिसकर्मी कानून सम्मत विचार नहीं रख पाता है तथा बार-बार अपनी सामाजिक धारणाओं को कानूनी मापदंडों से पृथक कर कानून राम्मत व्यवहार नहीं करता पाता है तो निश्चत ही उसे सामाजिक पूर्वाग्रहों पर आश्रित माना जायेगा।

पुलिस की नौकरी में आने के बाद पुलिसकर्मी से अपेक्षित होता है कि वह कानून में जो बात उचित है उसे उचित मानें और जो बात अनुचित है उसे अनुचित मानें, हो सकता है सामाजिक रूप से कुछ मान्यताओं के आधार पर सामाजिक रूप से जो चीज सही है वो कानूनी रूप से भी सही होगी उदाहरण के लिये किसी क्षेत्र विशेष में सामाजिक मान्यताओं के अनुसार दलित संवर्ग के व्यक्तियों को किसी खास मन्दिर में प्रवेश देना उचित ना माना जाये अथवा तथा कुछ खास जगहों पर बैठने-उठने की अनुमति न हो तो यह कृत्य तथा इससे जुड़ी हुई भावना कानूनी रूप से सर्वथा अनुचित होगी। यदि पुलिसकर्मी इस तरह के आचार व्यवहार को देखकर आपत्ति न करे तथा इसे सामाजिक मान्यता मानकर होने दे तो हम निश्चत ही मानेंगे कि उक्त पुलिसकर्मी पूर्वाग्रह ग्रसित है क्योंकि उसके द्वारा अपनी कानूनी समझ तथा तर्क का उपयोग किये बगैर एक अनुचित सामाजिक मान्यता को महत्व दिया जा रहा है। यह विचार निश्चत ही उसके पूर्वाग्रह ग्रसित विचारों से उपजा विचार तथा व्यवहार माना जायेगा।

पुलिस कर्मीयों के संबंध में यह स्पष्ट है कि उनके आचार-विचार में पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिये क्योंकि पूर्वाग्रहों से मुक्त पुलिसकर्मी जनता के हित में कानून सम्मत कार्य कर सकता हैं। पूर्वाग्रह ग्रसित पुलिसकर्मी का कार्य निष्पक्ष नहीं रह पाता तथा कानूनी रूप से उचित हो सकता है।

आम तौर पर पुलिसकर्गियों के मध्य पूर्वाग्रह ग्रसित होने की प्रमुख शिकायतें उनके जाति के आधार पर पूर्वाग्रह ग्रसित होने की, उनके धर्म के आधार पर पूर्वाग्रह ग्रसित होने की, उनके लिंग भेद के आधार पर पूर्वाग्रह ग्रसित होने की, धनवान, शक्तिवान तथा प्रभुत्वशाली व्यक्तियों के पक्ष में तथा निर्धन, शक्तिहीन तथा प्रभुत्वहीन के विरूद्ध आचरण कर पूर्वाग्रह ग्रसित होने की शिकायतें आती है। जातिगत रूप से स्वंय के समुदाय से सम्बन्धित जातियों को वरियता देना तथा उनकी सुनवाई तत्परता से करना अन्य जातियों व समुदाय के व्यक्तियों को यह समझकर उनकी सुनवाई न करना तथा उनके लिये समस्त पुलिस कार्यप्रणालियों को दूभर बनाना पुलिस कार्य में पूर्वाग्रह का प्रतीक है। इसी प्रकार धर्म के आधार पर अपने से संबंधित धर्मावलंबियों को महत्व देना, अन्य को हेय समझना तथा दंगों की परिस्थिति में धर्म विशेष का साथ देना पुलिसकर्मियों के धार्मिक पूर्वाग्रह का दुष्परिणाम है। घरेलु हिंसा को अन्य अपराधों की तुलना में कमतर मानना, पति द्वारा पत्नी के ऊपर हाथ उठाने को मान्य सामाजिक परंपरा मानकर कार्यवाही न करना, बच्चों पर होने वाली हिंसा को प्रमुख अपराध के रूप में महत्व न देना इत्यादि ऐसी पुलिस मनोवृत्तिया तथा कृत्य पुलिस के लिंग भेदी तथा बालकों के विरूद्ध होने वाली हिंसा के प्रति संवेदनहीनता से जुड़े पूर्वाग्रहों को प्रागणित करती है।

पुलिस की विचारधारा निष्पक्ष होनी चाहिये तथा कानूनी मान्यताओं पर आधारित होनी चाहिये। कुछ सामाजिक मूल्य असमानता पर आधारित होते हैं, इन पर आस्था रखने से पुलिसकर्मी पूर्वाग्रह ग्रसित होते हैं जिससे उनका कार्य कानून विरूद्ध हो जाता है। आवश्यकता है कि आत्म विशलेषण कर समस्त पुलिस कर्मी अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हों।

– श्री विनीत कपूर
ए.आई.जी.,मध्य प्रदेश

क्या आप जानते हैं?

लोक पुलिस के इस स्तम्भ के अंतर्गत मई के अंक से बाल यौन शोषण और बाल हिंसा से सम्बन्धित विषयों पर जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही है। इसी संदर्भ में, अप्रैल २०१३ में दिल्ली बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (डी.सी.पी.सी.आर.) द्वारा बाल शोषण को रोकने के लिये दिशा निर्देश का मसौदा तैयार करके इसे आम सलाह/टिप्पणी के लिए रखा गया था।
डी.सी.पी.सी.आर. ने ६ सितंबर २०१३ को 'बाल शोषण के रोकथाम के लिए निर्देशों' को रिलीज़ किया, जिसके प्रमुख भाग को हम यहां प्रस्तूत कर रहे हैं।

डी.सी.पी.सी.आर. द्वारा बाल शोषण की रोकथाम के लिए बनाए गए निर्देश

इन दिशा–निर्देशों को रिलीज़ करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमति शीला दीक्षित ने कहा कि 'इनके कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि हमारे बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त वातावरण उपलब्ध हो'। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ यौन शोषण चिंता का विषय है और इन दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन दूसरे राज्यों के लिए भी मॉडल होगा।

इसके अंतर्गत उल्लेखित तीन मुख्य स्टेकहोल्डर होंगे वे संस्थान जो बच्चों को रखते हैं, शिक्षा या सुविधा प्रदान करते हैं, व्यक्तिगत स्टेकहोल्डर जो बच्चे और पूरे समुदाय के विश्वास और ज़िम्मेदारी की स्थिति में हों, उन्हें पहरेदार बनना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल यौन शोषण के बारे में चुप्पी तोड़ी जाए।

यह दिशा–निर्देश सभी पहलूओं के बारे में निर्देश देता है कि कैसे स्कूल अपने स्टाफ की भर्ती करेंगे, बच्चों में जागरूकता लाएं ताकि वे संदिग्ध बर्तावों को पहचानें और इसकी शिकायत कैसे करें यह जान पाएं, संस्थानों द्वारा बाल सुरक्षा नीतियों का गठन, स्कूलों में काउंसलर की उपस्थिति, संस्थानों में बाल शोषण मॉनिटरिंग कमिटी, आदि।

किसी प्रकार की घटना या प्रताड़ना को दर्ज न करवाने के लिए स्टाफ को जवाबदेह बनाया जाएगा। अधिसूचित होने के बाद यह निर्देश घरों, स्कूलों और अन्य संस्थानों पर लागू होंगे और जो इसको लागू न करते हुए पाये गये उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जाएगी।

इन दिशा–निर्देशों की जड़ें *बाल न्याय (देखरेख एंव संरक्षण) अधिनियम २००० तथा दिल्ली बाल न्याय नियमावलि २००९* में निहित हैं। इन्हें डी.सी.पी.सी.आर. की वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है–
Http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/983d42804f4cf70fb7e3bf1e0288d2b8/Guidlines_for+Prevention_of_Child_abuse.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-1325194767

इन दिशा निर्देशों में ऐसे सभी संस्थानों और स्कूलों को बाल सुरक्षा नीति तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है जो, बच्चों को रखते हैं और उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं।

स्कूलों के अलावा अन्य लोगों और पुलिस की भुमिका और जि़म्मेदारी के बारे में निर्देश दिया गया है। १७३ पेज के इस दस्तावेज को *'बाल उत्पीड़न निवारण दिशा निर्देश २०१३'* कहा जाएगा। इसके अंतर्गत :

स्कूलों की कुछ जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

- स्कूलों को बाल शोषण मॉनिटरिंग कमिटी का गठन करना होगा।
- स्कूलों को बच्चों में यौन शोषण के प्रति जागरूकता फैलाना होगा।
- इसकी शिकायत करने के लिए आसान व्यवस्था बनानी होगी
- ऐसे किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखना होगा जो किसी भी आपराधिक मामले में आरोपी या दोषी हों।
- यदि आरोपी है तो उसे प्रोबेशन पर रख कर जांच करवा सकते हैं, पर आरोप सिद्ध होने पर तुरंत काम से हटाना होगा।
- स्कूल में क्षेत्र के स्पेशल जूवनाईल पुलिस अफसर, चाईल्डलाईन, क्षेत्र के ए.सी.पी. आदि का नं. सभी मुख्य स्थानों पर लगाना होगा।

पुलिस के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ भी निम्नलिखित हैं:–

अध्याय ३–स्टाफ भर्ती

- स्कूलों में स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत पुलिस द्वारा सत्यापन करते समय पुलिस को सम्बद्ध व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी ओर से निकासी देना चाहिए।

अध्याय ४–क्षमता निर्माण

- दिल्ली पुलिस और स्पेशल जूवनाईल पुलिस अफ़सर को अपने कानूनों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए तथा उन्हें बच्चों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहारों के सम्बन्ध में संवेदनशील बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- प्रशिक्षण सत्र के दौरान कम से कम एक सामुहिक सत्र में स्थानीय पुलिस, बच्चों के माता–पिता व अभिभावक और स्कूल/संस्थानों के कर्मचारी एक साथ सम्मिलित होंगे।

अध्याय १०–यात्रा, भ्रमण व सैर

- पुलिस को, स्कूल द्वारा बच्चों को सैर आदि पर ले जाने के लिए यात्रा का एकदम सही समय, रास्तों और गंतव्य स्थान की सूचना प्राप्त होने पर यथासम्भव पी.सी.आर.वैन की गश्त उस क्षेत्र में बढ़ा देनी चाहिए। साथ ही इसकी सूचना स्पेशल जूवनाईल पुलिस को भी दी जाती है, अतः उन्हें भी हर आवश्यक कार्यवाही के लिए तैयार रहना चाहिए।

अध्याय १३ परिवार और समुदाय में जागरूकता

- पुलिस और संस्थानों को स्थानीय निवासी कल्याण समीतियों, सामुदायिक संघों, व्यापारिक संघों आदि से मिलकर जनता में इसके बारे में जागरूकता और संदेश फैलाने में सहायता मांगनी चाहिए।
- उक्त दिशा–निर्देशों के अंतर्गत पुलिस की जिम्मेदारी बहुत सक्रिय नहीं है क्योंकि आमतौर पर उनकी सक्रिय भूमिका घटना के बाद प्रारम्भ होती है। जबकि, इन निर्देशों का उद्देश्य यही है कि घटना होने की स्थिति को ही न उत्पन्न होने दिया जाए। इसी उद्देश्य कर प्राप्ति के लिए कई अन्य नियमों आदि को निर्धारित किया गया है जिसे हम अगले अंकों में प्रस्तूत करेंगे।

–प्रस्तूतिः जीनत मलिक

आपके विचार

महोदया,
राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण के समय ***लोक पुलिस*** पत्रिका सर्वप्रथम देखने को मिली। यह काफ़ी उपयोगी है तथा इसकी भाषा भी बेहद सरल है। हमलोग वहां इसे पढ़कर इस पर चर्चा भी करते थे। इसके बारे में मेरा एक सुझाव है।
वर्तमान समय, इलॉक्ट्रानिक युग का है और इसमें साईबर क्राईम की समस्या अधिक बढ़ रही है। अतः पत्रिका में साईबर क्राईम से सम्बन्धित अधिक से अधिक जानकारी दी जाए जिससे शहरी व ग्रामीण अंचलों तक इसके बारे में ज्ञान पहुंचे।
धन्यवाद!

सुनिता कुमारी
भर्ती जिला–कोटा ग्रामीण
राजस्थान पुलिस

संपादिका जी,
लोक पुलिस के माध्यम से मैं कहना चाहता हुँ कि पुलिस विभाग में महिलाओं की भागी दारी होनी चाहिए चूंकि महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में आज कल ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी है, जिसमें महिला पुलिस कर्मचारी एंव महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ज़्यादा अच्छे तरीके से महिला के अपराधों को जैसेः पति–पत्नि के झगड़े में दोनों को समझाकर सुलझाया जा सकता है।
इस विभाग में महिला पुलिस कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण का सुझाव उपयोगी हो सकता है ताकि महिलाओं की इस विभाग में भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

भागीरथ सिंह
हेड कांस्टेबल–५०७
जयपुर कमिश्नरेट
राजस्थान पुलिस

महोदया,
जूलाई २०१३ के अंक में मुझे सबसे तत्कालीन जानकारी के रूप में 'क्या आप जानते हैं?' खण्ड बेहद पसंद आया। क्योंकि, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा बाल न्याय कानून के अंतर्गत जितेन्द्र सिंह @ बब्बू सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य २००३ के आपराधिक अपील नं. ७६३ में १० जूलाई २०१३ के निर्णय में पुलिस और मजिस्ट्रेट के लिए दिये गये निर्देशों का समावेश किया गया है।
ऐसी तरोताज़ा जानकारी पहुंचाने के लिए मैं बेहद आभार व्यक्त करता हुँ और आगे भी ऐसे लेखों का आकांक्षी रहुँगा।

सब इंस्पेक्टर, रांची
सदस्य, झारखण्ड पुलिस

पृष्ठ १ का शेष........

प्रदाता' दृष्टिकोण का विकास
पुलिस नेतृत्व एवं प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सेवा प्रदाता दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए।

पुलिस अपने दायित्वों को ठीक प्रकार से न निभाने का एक प्रमुख कारण राजनैतिक हस्तक्षेप और दबाव को बताती है। क्या वास्तव में ही पुलिस को इस दबावों के अधीन काम करना पड़ता है? अपने विस्तृत विचारों से अवगत कराये ताकि दूसरे पुलिस कर्मियों को ऐसे वातावरण में काम करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

निःसन्देह, पुलिस की प्रत्येक कार्यप्रणाली में चाहे व अपराधों का अनुसंधान हो, कानून व्यवस्था का संधारण हो अथवा निरोधात्मक कार्यवाही हो राजनैतिक हस्तक्षेप एवं दबाव होता है। हमारा दुर्भाग्य है कि यह दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पुलिसकर्मियों के द्वारा, ट्रान्सफर, पोस्टिंग के भय, प्रताड़ना एवं अन्य कारणों से इन दबावों के अधीन कार्य किया जाता है। जो पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी इन दबावों के आगे नहीं झुकते हैं उन्हें फील्ड ड्यूटी से हटा दिया जाता है। पुलिस कार्यप्रणाली को राजनैतिक हस्तक्षेप एवं दबाव से मुक्त करने हेतु विभिन्न पुलिस आयोग द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं वह निश्चित रूप से उपयोगी हैं तथापि इन्हें लागू करने में राजनेताओं तथा ब्यूरोक्रेसी की ईच्छाशक्ति की कमी दिखाई देती है।

मननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा *प्रकाश सिंह केस* में पारित निर्णय में पुलिस सुधार हेतु दिये गये निर्देशों की पालना में विभिन्न राज्यों द्वारा बनाये गये पुलिस अधिनियमों में भी उच्चतम् न्यायालय के आदेशों की पूर्ण पालना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त इन पुलिस अधिनियमों का भी खुला उल्लंघन किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर फील्ड पुलिस अधिकारियों के दो साल की सेवा अवधि का खुला उल्लंघन हो रहा है। अगर पुलिस अधिनियमों के अनुसार पुलिस मुखिया का चयन सही प्रकार से किया जाता है, उन्हें कम से कम दो साल की सेवा अवधि दी जाती है (जिसके संबंध में इन अधिनियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है), पुलिस संस्थापना बोर्ड का गठन कर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदस्थापन उन्हीं की देखरेख में अथवा उनकी अनुशंसा के अनुसार किये जाते हैं तथा राज्य सुरक्षा आयोग एवं पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जाकर उन्हें सशक्त किया जाता है तो पुलिस की कार्य प्रणाली में अवश्य सुधार आयेगा तथा राजनैतिक हस्तक्षेप सीमित किया जा सकता है।

आपने पुलिसकर्मियों को ऐसा वातावरण कम करने के लिये मार्गदर्शन प्रदान करने के बारे में भी पूछा है। मुझे संदेह है कि क्या समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी यह चाहते हैं कि पुलिस के कार्य में कोई राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं हो। जब पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनसे पूछा जाता है कि क्या आप चाहेगें कि ऐसा वातावरण हो, जहां बिल्कुल राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं हो तो अधिकतर अधिकारी मौन हो जाते हैं। पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों का राजनैतिक हस्तक्षेप के मामलों में दोहरा रूख दुर्भाग्यपूर्ण है। वे राजनैतिक हस्तक्षेप पसन्द करते हैं जब उनका फायदा हो रहा हो। इसके विपरित जब राजनेता उनसे कोई काम कहते हैं तो वे इसका विरोध करते हैं। आज कल उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या काफी बढ़ रही है जिनको राजनैतिक हस्तक्षेप में कोई गलती नहीं दिख रही है।

शेष भाग अगले अंक में........

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

ओडिशा-पुराने पुलिस अधिनियम के स्थान पर नया कानून प्रस्तावित

पुलिस सम्बन्धित पुराने कानून को हटाने के लिए ओडिशा सरकार ने १६ अगस्त को *पुलिस अधिनियम १८६१ तथा ओडिशा राज्य सैन्य पुलिस अधिनियम, १९४६* के स्थान पर नया पुलिस कानून लाने का निर्णय लिया है।

मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की मीटिंग में उपरोक्त दोनों कानूनों को रद्द करके पिछले १०० सालों में पुलिसिंग में आए व्यापक बदलाव की आवश्यकताओं के अनुसार एक नये कानून को लाने का निर्णय लिया गया।

दरअसल, इस बदलाव के साथ साथ राज्य सरकार, पुलिसिंग व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में व्यापक बदलाव लाकर *प्रकाश सिंह केस* में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का प्रयत्न कर रही है। सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित पुलिस कानून में डी.जी.पी. से लेकर एस.पी. तथा एस.एच.ओ. तक की कार्य अवधि २ वर्षों के लिए निश्चित की गई है। इसके अलावा एक डी.जी.पी. की अध्यक्षता में पुलिस संस्थापना बोर्ड और लोकपाल की अध्यक्षता में पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन राज्य में पहले से ही कर लिया गया है। इसके अलावा, इसमें कानून-व्यवस्था को अपराधों का पता लगाने से अलग रखा गया है और इसके लिए अपराध अनुसंधान युनिट का गठन करने की बात की गई है। सूत्रों के अनुसार यह भी कहा गया था कि-'आज की पुलिस की बहुमुखी सेवा भूमिका और संगठित अपराधों, आर्थिक अपराधों, उग्रवाद, साईबर अपराध और तस्करी की चुनौतियों को देखते हुए और उनके प्रशिक्षण आवश्यकताओं को बेहतर बनाने के लिए कानूनी प्रावधानों के मरम्मत की आवश्यकता है।'

कारण चाहे जो भी हो लेकिन प्रस्तावित बदलावों से ऐसा प्रतीत होता है कि ओडिशा सरकार ७ साल बाद ही सही लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन करने की राह पर निकल पड़ी है और यह पुलिसिंग व्यवस्था और आम जनता दोनों के लिए एक सुखद समाचार है। यदि उपरोक्त सभी प्रस्तावों का उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पालन किया गया तो राज्य में पुलिसिंग का स्वरूप ही नागरिकों के हित में बदल जाएगा। आशा है, इसे तुरंत कार्यान्वित किया जाएगा।

(सौजन्य: टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २० अगस्त २०१३)

महाराष्ट्र आरोपियों की रिहाई का सबसे बड़ा आँकड़ा

सरकार की नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया था कि महाराष्ट्र में अपराध सिद्धि दर देश के सभी राज्यों से कम है। लेकिन, पिछले ६ महीनों में इसमें सुधार होकर अब यह १५.२ प्रतिशत हो गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के २०११ के रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में अपराधसिद्धि दर बिहार और उत्तर प्रदेश से भी कम, केवल ८.२ प्रतिशत था।

यह मानते हुए कि बढ़ा हुआ आँकड़ा भी अपेक्षा से बेहद कम है, राज्य गृह मंत्री श्री आर.आर.पाटिल ने कहा कि अदालत में केस बगैर पर्याप्त सबूतों के दायर कर दिये जाते हैं जिसके कारण अपराधसिद्धि दर निम्न होती है। जबकि आदर्श रूप से अदालत में केस पर्याप्त सबूतों के साथ ही दायर किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, जब उनसे हिरासत में लगातार होने वाली मृत्यू के केसों के बारे में पूछा गया तब उन्होंने उल्टा यह पूछ लिया कि प्राकृतिक कारणों से जेल में हुई मृत्यू को 'हिरासत में मृत्यू' की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है और हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को इस बारे में लिखने वाले हैं कि उन्हें वर्तमान समय की विषमता की इस कसौटी को बदलना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि 'नियम के अनुसार हिरासत में मृत्यू के केसों में सी.आई.डी. जांच की जाती है'। गृह मंत्री ने कहा कि कानूनों का पूरी तरह पालन करने के बावजूद, सरकार की अनुचित रूप से आलोचना की जा रही है।

राज्य गृह मंत्री द्वारा कानून पालन करने की दुहाई देने से हिरासत में हुई मृत्यू की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही से सरकार और पुलिस अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। जहां तक सी.आई.डी. जांच की प्राप्तियों से सरकारी एजेंसियों को निर्दोष सिद्ध करने की बात है, तो यह जग ज़ाहिर है कि पुलिसिंग की कोई भी एजेंसी सरकार के विरूद्ध नहीं जाती है।

(सौजन्य: इकनॉमिक टाईम्स डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, १० सितंबर २०१३)

दिल्ली में पहला गवाह निक्षेपण कक्ष

श्दल्ली, देश का पहला ऐसा शहर बन चुका है जिसके पास अपना 'अतिसंवेदनशील गवाह निक्षेपण कॉम्पलेक्स' है और जिसे यौन अपराधों के केसों में अतिसंवेदनशील गवाहों को बंद कमरे के वातावरण में सुरक्षा, एकान्तता, गोपनीयता और आराम उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाईन किया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एन.वी.रमण ने कड़कड़डुमा कोर्ट कॉम्पलेक्स में इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि इस सुविधा से गवाहों को बगैर किसी कठिनाई के बयान देने में सहायता मिलेगी। अधिकतर केसों में दण्डमुक्ति का कारण गवाहों का मुकर जाना या झूठी गवाही देना होता है और इसका मुख्य कारण गवाहों और उनके परिवार जनों को सुरक्षा न प्रदान करना होता है।

इस परियोजना के अंतर्गत गवाहों के बयान के लिए गवाह कक्ष और अदालत के कमरे को एक वीडियो लिंक से जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना की अध्यक्षता करने वाली न्यायाधीश श्रीमती गीता मित्तल के अनुसार, "इस सुविधा को हमने इसलिए तैयार करवाया है ताकि गवाह जब अदालत में बयान दे रहा हो तब साथ के कमरे से जहां एक तरफ़ा शीशा लगा हुआ होगा, आरोपी उसे देख और सुन सके। साथ ही, उसे एक ऑडियो लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह अपने वकील को निर्देश दे सके।" उन्होंने यह भी कहा "पीड़ितों और गवाहों के लिए न्याय की राह को कम कठिनाईपूर्ण बनाने के लिए संवेदनशील न्यायपालिका, करुणामयी अभियोजन तथा नीतिपरक बचाव पक्ष का साथ होना चाहिए।"

गवाहों के लिए इस प्रकार की सेवा की शुरूआत जल्द ही साकेत, रोहिणी व तीस हज़ारी कोर्ट में भी की जाएगी।

आशा है, गवाहों को इस प्रकार की सुरक्षा देश के हर छोटे बड़े क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएगी और यह गवाहों के बयान को सुनिश्चित कराने की ओर एक अच्छा प्रयत्न है। हालांकि, अदालत में बयान के पहले और उसके बाद भी अगर आवश्यकता हो तो गवाहों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की गारंटी मिलने से ही गवाहों के अंदर का भय समाप्त हो सकता है।

(सौजन्य:टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, १३ सितंबर २०१३)

क्या दिल्ली पुलिस की कार्यपद्धति बेहतर हो पाएगी?

पिछले वर्ष १६ दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में, २३ वर्षीय युवती निर्भया का बेहद बेदर्दी से सामुहिक बलात्कार किया गया था और बाद में उसकी अस्पताल में मृत्यू हो गई थी। तकरीबन ८ महीने के बाद निर्भया केस में दोषसिद्धि के बाद अपनी पहली सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राजधानी में बढ़ते अपराधों के बारे में चिंता जताते हुए पुलिस को कमर कसने की हिदायत दी। उच्च न्यायालय निर्भया के केस में स्वतः ही संज्ञान लेकर पुलिसिंग और कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की मॉनिटरिंग कर रहा है।

मुख्य न्यायाधीश माननीय एन.वी. रमण व न्यायाधीश प्रदीप नन्दराजोग ने कहा "16 दिसंबर के क्रूर सामुहिक बलात्कार के केस में संज्ञान के बाद इस अदालत के अनेकों निर्देशों के बावजूद, घटनायें हो रही हैं। इन दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन वास्तविक मुद्दा है और आप(पुलिस) को अपनी कार्य यंत्रावलि को सुधारने की आवश्यकता है।"

खंडपीठ ने कार्यान्वयन को वास्तविक समस्या मानते हुए स्पेशल सरकारी वकील श्री दयान कृष्णन को एक हलफ़नामा दायर करके पुलिस बल में रिक्त पदों की व्याख्या करने ए.एस.आई., एस.आई. और महिला पुलिसकर्मियों की रिक्त संख्या की जानकारी देने को कहा है। इसमें अलग अलग थानों में इनकी भुमिकाओं के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।

इसके अलावा, अदालत ने फौरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने में होने वाले विलंब पर भी चिंता जताई है जिसके कारण आपराधिक केसों में देर हो जाती है। अदालत ने केन्द्र और दिल्ली सरकार दोनों को नोटिस जारी करके फौरेंसिक लैबोरेटरी की संख्या तथा प्रत्येक केस की रिपोर्ट भेजने में लगने वाले समय की जानकारी मांगी है।

केन्द्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को मांगी गई सूचना के अपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया है और दिल्ली पुलिस ने भी अदालत को जानकारी दी है कि व्यवस्था की बेहतरी के लिए उन्होंने अपने स्टाफ को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ करवाया है। इस केस की अगली तारीख़ ३ अक्टुबर निर्धारित की गई है। इससे पहले अदालत ने पुलिस को निर्भया के केस में उच्चकोटि के सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसका दिल्ली पुलिस ने निःसंदेह बहुत ही अच्छी तरह पालन किया क्योंकि उक्त केस के ४ दोषियों को १३ अपराधों के लिए दोषी मानते हुए स्वंय अदालत ने भी सबूतों की प्रकृति को सराहा था। सामुहिक बलात्कार के इस केस में सबसे कम उम्र का अपराधी, एक साढ़े सत्रह वर्षीय जूवनाईल था और उसे भी दोषी मानते हुए जूवनाईल जस्टिस बोर्ड ने ३ साल के लिए सुधार गृह में भेजने का निर्णय दिया था। हांलाकि, इस निर्णय का देश भर से आम जनता ने विरोध किया और बाकी के चार अपराधियों की ही तरह उसके लिए भी फांसी की सजा की मांग होती रही। लेकिन, कानून के अनुसार अधिकतम दण्ड का सक्रियतावादियों ने स्वागत किया और कहा कि कानून के अंतर्गत उसे भी सुधरने का हर सम्भव अवसर मिलना चाहिए। लेकिन, उच्च न्यायालय न तो प्रत्येक केस में अनुसंधान की मॉनिटरिंग कर सकता है और न ऐसा करने की इसे आवश्यकता है।

आशा है, उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग के सहारे ही सही, लेकिन दिल्ली पुलिस और आपराधिक न्याय व्यवस्था की सुस्त चाल को दुरूस्त किया जा सकेगा।

लेकिन, वर्मा कमिटि की सिफ़ारिशों का पूरी तरह कार्यान्वयन कब होगा, कब सरकारें पुलिस सुधार के लिए सर्वप्रमुख *प्रकाश सिंह के केस* में दिए गये निर्देशों का पालन कर पाएंगी, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है।

(सौजन्य:टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, १३ सितंबर २०१३)